केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/09 दिनांक: 08.01.2018

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00009
CICOM/R/2017/01381

अपीलकर्ता : श्री चौरू लाल कुम्हार,
रामपुरा बस्ती, गली नं. 2,
लालगढ़, बीकानेर – 334004.
मो0 – 7062290901.

निर्णय की तारीख : 08.01.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	08.11.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	08.12.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री दिनेश कुमार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	18.12.2017

1. अपीलकर्ता ने दिनांक 08.11.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग के आदेश सं. CIC/POSTS/A/2017/117352 के संदर्भ में जानना चाहा है कि माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग श्री एल. आर. परिहार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, रेल डाक सेवा, जोधपुर के विरूद्ध किस प्रकार की कार्यवाही करने में सक्षम है । उक्त आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर में श्री दिनेश कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री दिनेश कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-एस.ए.. कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुरुप है । साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलों/शिकायतों के संदर्भ में केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा जारी आदेशों पर जन सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा किसी तरह की टिप्पणी नहीं की जा सकती ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

09/01/18

C. I. C./के. सू. आ.
RECEIVED
09 JAN 2018
D. No.
Initials